न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 140 / 2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022 / 343

दायर दिनांक :– 29.09.2023 निर्णय दिनांक :– 29.10.2024

1. चंदनसिंह पुत्र सावलसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. श्रवणसिंह पुत्र चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप
2. भंवरकंवर पत्नी चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप
3. छैलूकंवर पुत्री चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप
4. मनोहरसिंह पुत्र सावलसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
5. महीपालसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
6. हनुमानसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
7. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री राणीदानसिंह अधिवक्ता वादी

2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवकता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से

3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलेक्टर ★ जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आश्य से पेश किया कि ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित खेत खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर किस्म बी–प वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की पैतृक संयुक्त खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की स्थित है। ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 727 रकबा 2.5576 हैक्टेयर किस्म बी–3 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की स्थित है, जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जावेगा, जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न दावा है। जमाबंदी चौसाला सम्वत 2070–2073 है। उक्त वादग्रस्त भूमि जमाबंदी चौसाला सम्वत 2070–2073 में खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के नाम राजस्व अभिलेख में संयुक्त दर्ज रही है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 727 रकबा 2.5576

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested

29.10.24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादीनी संख्या 2 के पति चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह के नाम अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी की दर्ज अभिलेख रही है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 727 रकबा 2.5576 हैक्टेयर के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के पिता एवं 2 के पति चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह फौत हुवे तो उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1330 ग्राम धोलिया दिनांक 13.01.2022 को दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा भूलवश वादी के संयुक्त खातेदारी अधिकारों की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर के खातेदार वादी के जीवित रहते सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पिता व 2 के पति चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह दोनों के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को गलत वारिसान दर्ज कर दिनांक 19.01.2022 को उपतहसीलदार शेखासर से गलत स्वीकार करा लिया इसलिये वादी नामान्तरकरण संख्या 1330 मौजा धोलिया अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर ग्राम धोलिया की हद तक निरस्त करवाने का अधिकारी है जिस हेतु यह दावा पेश है। गलत स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1330 ग्राम धोलिया का राजस्व रेकर्ड में गलत अमलदरामद कर वादी के स्थ्ज्ञान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज अभिलेख कर दिया जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 चन्दनसिंह पुत्र भूरसिंह के वारिसान है जिसका वादी कसे कोई सरोकार नहीं है। इसलिये वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर ग्राम धोलिया में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्थान पर अपने हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की और से अधिवक्ता करणीसिंह राठौड़ ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया कि वादी का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर बताया कि अदालत हाजा द्वारा उक्त वाद का निर्णय मेरिट पर किया जाता है तो एजराज नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित खेत खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर किस्म बी–4 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की स्थित है। ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 727 रकबा 2.5576 हैक्टेयर किस्म बी–3 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि जमाबंदी चौसाला सम्वत 2070–2073 में खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैकटेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 के नाम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested

29.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अभिलेख में संयुक्त दर्ज रही है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 727 रकबा 2.5576 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादीनी संख्या 2 के पति चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह के नाम अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी की दर्ज अभिलेख रही है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 727 रकबा 2.5576 हैक्टेयर के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के पिता एवं 2 के पति चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह फौत हुवे तो उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1330 ग्राम धोलिया दिनांक 13.01. 2022 को दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा भूलवश वादी के संयुक्त खातेदारी अधिकारों की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर के खातेदार वादी के जीवित रहते सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पिता व 2 के पति चंदनसिंह पुत्र भूरसिंह दोनों के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को गलत वारिसान दर्ज कर दिनांक 19.01.2022 को उपतहसीलदार शेखासर से गलत नामान्तरकरण स्वीकार करा लिया इसलिये वादी नामान्तरकरण संख्या 1330 मौजा धोलिया अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर ग्राम धोलिया की हद तक निरस्त करवाने का अधिकारी है। गलत स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1330 ग्राम धोलिया का राजस्व रेकर्ड में गलत अमल दरामद कर वादी के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज अभिलेख कर दिया जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 चन्दनसिंह पुत्र भूरसिंह के वारिसान है जिसका वादी से कोई सरोकार नहीं है। इसलिये वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर ग्राम धोलिया में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्थान पर अपने हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। खसरा नम्बर 727 के खातेदार चन्दनसिंह पुत्र भूरसिंह फौत होने पर विरासत नामान्तरण स्वीकृत करते समय वादी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 670 व 773 की भूमि में दर्ज 1/3 हिस्सा का नामान्तरकरण संख्या 1330 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि चन्दसिंह पुत्र भूरसिंह फौत होने पर इनके नाम दर्ज भूमि का ही विरासत नामान्तरकण खोला जाना था परन्तु वादी के नाम दर्ज भूमि को भी नामान्तरकण संख्या 1330 के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज किया गया है तो त्रुटिपूर्ण है जो नामान्तरकरण संख्या 1330 को निरस्त कर वादी के नाम दर्ज भूमि पूर्वानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी उचित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने भी इकबालिया जवाब पेश कर माफिक इस्तदुआ वादी का वाद स्वीकार किये जाने के कथन किये है। तहसीलदार बाप ने अपने जवाब में भी कथन किया है कि वादी के वाद का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने पर एतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested

A 29.10.24
सहायक कलेक्टर

नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, इकबालिया जवाब दावा से वाद वादी साबित है। वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 1330 ग्राम धालिया को वादी की हद तक निरस्त किया जाकर ग्राम धोलिया के खसरा नम्बर 670 रकबा 10.2709 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 773 रकबा 6.0622 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.10.24

(सुखाराम पिण्डेल RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested